


राजस्थान सरकार स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

क्रमांकः एफ.10(क)()गठन/श्रेणी()डीएलबी./13/784



दिनांक 13.06.2014

अधिसूचना

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या 18 वर्ष, 2009) की धारा 5 सहपठित धारा 329 एवं अधिसूचना क्रमांक प.8(ग)()नियम/श्रेणी/एलएसजी/12/3825-4090 दिनांक 30.04.12 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर परिषद भरतपुर को एतद द्वारा तत्काल प्रभाव से नगर निगम भरतपुर घोषित करती है। नगर परिषद भरतपुर की विधमान स्थानीय सीमाएं नगर निगम भरतपुर की स्थानीय सीमाएं ही रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

२००० (च.हर अप (सी.एस. वेनीवाल) शासन उप सचिव

क्रमांकः एफ.10(क)()गठन/श्रेणी()डीएलबी./13/785-1040 दिनांक 13.06.2014 प्रतिलिपि सूचनार्ध एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

01. निजी सचिव, शासन सचिव, मा० मुख्यमंत्री महोदय, राज.सरकार,जयपुर

02. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग,।

03. सिचद, राज्य वित्त आयोग, राज. जयपुर।

04. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज0 जयपुर।

४. निदेशक, जनगणना विभाग, राज0 जयपुर।

06. संभागीय आयुक्त, समस्त राजस्थान।

07. जिला कलेक्टर समस्त।

08. महापौर/सभापति/अध्यक्ष/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, समस्त नगर निगम/परिषद/ पालिकाए राजस्थान।

09. समस्त अधिकारीगण निदेशालय एवं उप निदेशक क्षेत्रीय कार्यालय समस्त राज0।

10. जनसम्पर्क अधिकारी, निदेशालय को अधिसूचना के प्रचार प्रसार हेतु।

11. निदेशक / अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय लेखन एवं मुद्राणालय, राज. जयपुर को आगामी असाधारण अंक राज राजपत्र में शीध प्रकाशनार्थ एवं 50 प्रतियाँ उपलब्ध कराये जाने हेतु।

12. समस्त अनुभाग, निदेशालय।

13. सुरक्षित पत्रावली।

अर्थ प्रतिकृष्टि प्रतिकृष्टि

Shall domain

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी